

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2615] No. 2615] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2014/पौष 1, 1936 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2014/PAUSA 1, 1936

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3252(अ).—एक प्ररूप अधिसूचना, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना, सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिसूचना कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए, सं. का.आ. 2319 (अ) तारीख 11 सितम्बर, 2014 (जिसे इसमें इसके उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 सितम्बर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और साठ दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

मूल अधिसूचना में अनुसूची में स्तंभ (1) के अधीन भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाओं से संबंधित मह 8 और उपमद 8(क) तथा उपमद 8(ख) तद्धीन विनिर्दिष्ट उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद, उपमदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

5053 GI/2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
"8		भवन या संनिर्माण परियोजनाएं या नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाएं				
8(क)	भवन और संनिर्माण परियोजनाएं		>20000 वर्ग मीटर और < 1,50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" को, सभी तलों पर इकट्ठे निर्मित या आच्छादित क्षेत्र के रूप में पिरभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत बेसमेंट और अन्य सेवा क्षेत्र भी हैं जिनका भवन/संनिर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किया गया है। टिप्पण 1: परियोजना या कार्यकलापों में औद्योगिक शेड, विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षिक संस्थाओं के लिए छात्रावास शामिल नहीं होंगे किंतु ऐसे भवन भरणीय पर्यावरणीय प्रबंधन ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण का सुनिश्चय करेंगे और वे पुन: चक्रित सामग्रियों जैसे भस्म ईंटों का उपयोग कर सकेंगे।		
8(ख)	नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		जो >50 हेक्टेयर के क्षेत्र और या >1,50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर कर रही हैं	टिप्पण 2: "साधारण शर्ते" लागू नहीं होंगी। इस मद के अधीन आने वाली नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाओं से पर्यावरण निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा होगी और उनका निर्धारण श्रेणी "ख1" परियोजना के रूप में किया जाएगा। टिप्पण: "साधारण शर्ते" लागू नहीं होंगी।		

[फा. सं. 19-2-2013-आईए. III] मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित िए गए थे और निम्नानुसार पश्चावर्ती संशोधन किए गए:—

- 1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तुबर, 2007;
- 2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
- 3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
- 4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
- 5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
- 6. का.श्चा. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
- 7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर,, 2013;
- 8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014; और
- 9. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2014

S.O. 3252(E).—Whereas, a draft notification further to amend the notification number S.O 1555(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the principal notification), was published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide number S.O. 2319, (E) dated the 11th September, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 11th September, 2014;

And whereas, no objections or suggestions have been received in response to the said notification within the specified period of sixty days;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

In the principal notification, in the Schedule, under Column (1), for item 8 relating to Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships and sub-items 8 (a) and 8 (b) and the entries relating thereto, specified there under, the following item, sub-items and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
"8		Building or Construction projects or Area Development projects and Townships				
8 (a)	Building and Construction projects	>20 000 sq .mt and < 1,50,00 sq. mtrs. of built up area				
				Note 1 The projects or activities shall not include industrial shed, school, college, hostel for educational institution, but such buildings shall ensure sustainable environmental management, solid and liquid waste management, rain water harvesting and may use recycled materials such as fly ash bricks.		
				Note 2 "General Conditions" shall not apply.		
8	Townships and Area Development Projects		Covering an are of > 50 ha and built up area > 1,50,000 sq. mt	or covered under this item shall require an Environment Assessment report and be appraised as Category 'B1'		
				Note "General Conditions" shall not apply.		

. [F. No. 19-2/2013-IA-III] MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy. Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide Notification Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was subsequently amended as follows:—

- 1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
- 2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
- 3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
- 4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
- 5. S.O.674(E), dated the 13th March, 2013;
- 6. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
- 7. S. O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
- 8. S. O. 562(E), dated the 26th February 2014; and
- 9. S. O. 1599(E), dated the 25th June, 2014.